


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद की डीपीसी वर्ष 2015-16 से 2019-20 के पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 24.12.2020 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अधिकारियों का संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर व्याख्याता स्कूल शिक्षा पद से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी) पर नवीन चयन/ चयन वर्ष परिवर्तन किया जाता है :-


| कस | वरिष्ठता क्रमांक | वर्ष | नाम आशार्थी | जन्म तिथि | वर्ग | लिंग | शिडू | पूर्व चयन वर्ष | चयन वर्ष/ परिवर्तित वर्ष | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------|------------------|------------|------|------|----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. | 873 | 1 | 1997-98 | कौशल केदावत | 31.01.1968 | सा0 | पु0 | I/III | ... | 2015-16 नवीन चयन |
| 2. | 741 | 3 | 2000-01 | सुनील कुमार | 01.11.1961 | सा0 | पु0 | I/III | 2015-16 | 2016-17 |
| 3. | 673 | 0 | 2006-07 | हिमांशु कुमार | 10.10.1982 | सा0 | पु0 | I/III | 2016-17 | 2017-18 |
| 4. | 126 | 0 | 2008-09 | पूरणमल स्वर्णकार | 13.07.1958 | सा0 | पु0 | I/III | 2017-18 | 2018-19 |
| 5. | 672 | 0 | 2010-11 | इन्द्रपाल सिंह | 24.04.1985 | सा0 | पु0 | I/III | 2018-19 | 2019-20 |
| निम्नलिखित अधिकारी का उनके नाम के सम्मुख कारण से संबंधित चयन वर्ष में किया गया चयन निरस्त किया जाता है :- | | | | | | | | | | |
| 1. | 148 | 0 | 2011-12 | अनिल कुमार जोशी | 01.02.1962 | सा0 | पु0 | I/III | 2019-20 | वरिष्ठतानुसार निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन योग्य न होने के कारण |

प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पूर्व प्राप्त चयन परिलाभ उक्त चयन के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/प्रधानाचार्य/डीपीसी/2015-16 से 2019-20/, दिनांक: 21/01/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा, आयोग अजमेर।
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग एवं प्रभाग बी-1 एवं बी-2 संस्थापन एबी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आगामी करने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर